

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 273]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 जून 2020 — ज्येष्ठ 20, शक 1942

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 जून 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-55/2019/14-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ कृषि (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“7.	सहायक संचालक कृषि (लेखा/स्थापना)	06	द्वितीय श्रेणी	रुपये 56100-177500 लेवल-12”	

2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“5.	सहायक संचालक कृषि (लेखा/स्थापना)	06	50%	50%	—	पदोन्नति हेतु 03 पद निर्धारित है जिसमें से 02 पद अधीक्षक संवर्ग से भरे जायेंगे एवं 01 पद शीघ्रलेखक वर्ग— एक संवर्ग से भरे जायेंगे।”

3. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	"5. अधीक्षक / शीघ्रलेखक वर्ग-एक	5 वर्ष	सहायक संचालक कृषि (लेखा/स्थापना)	(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग या समिति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य -अध्यक्ष (2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, कृषि-सदस्य (3) संचालक, कृषि - सदस्य (4) आरक्षित वर्ग से प्रतिनिधि - सदस्य	पदोन्नति हेतु 03 पद निर्धारित है जिसमें से 02 पद अधीक्षक संवर्ग से भरे जायेंगे एवं 01 पद शीघ्रलेखक वर्ग-एक संवर्ग से भरे जायेंगे।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 9 जून 2020

क्रमांक एफ 3-55/2019/14-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-55/2019/14-1, दिनांक 9-06-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, सचिव.

Atal Nagar, the 9th June 2020

NOTIFICATION

No. F 3-55/2019/14-1. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Agricultural (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2011, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. For serial number 7 and entries relating thereto of Schedule-I, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7.	Assistant Director Agriculture (Accounts/ Establishment)	06	Class-II	Rs. 56100- 177500 Level-12"	

2. For serial number 5 and entries relating thereto of Schedule-II, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"5.	Assistant Director Agriculture (Accounts/ Establishment)	06	50%	50%	-	03 posts shall be determined for promotion, out of which 02 posts shall be filled by Superintendent Cadre and 01 post shall be filled by Stenographer Grade-I Cadre."

3. For serial number 5 and entries relating thereto of Schedule-IV, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"5.	Superintendent/ Stenographer Grade-I	5 years	Assistant Director Agriculture (Accounts/ Establishment)	(1) Chhattisgarh Public Service Commission or member nominated by Committee- Chairman. (2) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Agriculture – Member. (3) Director, Agriculture – Member (4) Representative from a reserved category – Member.	03 posts shall be determined for promotion, out of which 02 posts shall be filled by Superintendent Cadre and 01 post shall be filled by Stenographer Grade-I Cadre."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DHANANJAY DEWANGAN, Secretary.